| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय श... |
|---|---|
| | TAR रिपोर्ट दि. 19/9/25 को पेश हो। |
| 19/9/25 | ... पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज ... ... अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते ... ... कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। ... ... सबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28/10/25 |
| 28/10/25 | वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली बाबत इन्तजार TAR रिपोर्ट दिनांक 25/11/25 को पेश हो |
| 25/11/25 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा... उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 5/12/25 को ... |
| 5/12/25 | ...वली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा... ... अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। ... कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत ... साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23/12/25 को पेश हो |
| 23/12/25 | वकील प्रार्थी उप0। पत्रा0 बाबत जवाब पेरोकार सरकार दि0 30/12/25 को पेश हो। |
| 30/12/25 | वकील प्रार्थी उप0। जवाब पेरोकार सरकार पेश किया। बहस उभयपक्ष वकील प्रार्थी व पेरोकार सुनी गई। प्रा0पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 मे निहित प्रावधानो के अन्तर्गत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बादतामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

| फैसल नं0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 179/प्रा0 पत्र/2024 | 16.05.2024 | 30.12.2025 |

1. सूरजबाई आयु 50 वर्ष पत्नि दिनेश कुमार जाति बाहमण निवासी ग्राम सांदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
2. गीताबाई आयु 70 वर्ष पत्नि रामनारायण जाति बाहमण निवासी ग्राम सांदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील तालेडा जिला बून्दी

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री रामरतन सुमन
अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

**– : : निर्णय : : –**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एल. आर. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ब्राहण जाति की महिलाऐं है जो आपस में सास–बहु है। ग्राम बड़ून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी में प्रार्थीया सुरजबाई की खाता 422 खसरा संख्या 1137/620 रकबा 1.4811 है0 व गीता बाई की खाता संख्या 66 खसरा संख्या 1138/620 रकबा 1.4811 है0 कि खातेदारी अधिकार की भूमि स्थित है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2080 प्रस्तुत की जा रही है। उक्त प्रा0पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी व अधिकार में चली आ रही है जिस पर प्रार्थीगण काश्तकारी करते चली आ रही है। अप्रार्थी व उसके अधिनस्त कर्मचारियो द्वारा कुछ समय पूर्व राजस्व रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकृत नक्शा तरमीम बनाये गये है। अप्रार्थी के राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित कृषि भूमि का पूर्व में नक्शा तरमीम किया गया था जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार नहीं करके गलत एवं त्रृटि पूर्ण ढंग से अन्यत्र जगह पर कर दिया गया है। जिससे प्रार्थीगण को कृषि कार्य करने व राजस्व आदि देने व उक्त कृषि भूमि की लाभकारी योजनाओ का लाभ लेने में कही प्रकार की परेशानीयो कां सामना करना पड़ रहा है जिससे प्रार्थीगण को मानसिक व आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थीगण ने 05.04.2024 को अप्रार्थी के यहॉ जाकर वाद में वर्णित उक्त भूमि ख0न0 1137/620 रकबा 1.4811 है0 व 1138/620 रकबा 1.4811 है0 का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार नक्शा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती करने हेतु कहा तो अप्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में इन्द्राज दुरूस्ती नही की गई व मना कर दिया इसलिये वाद कारण दिनांक 05.04.2024 को उत्पन्न हुआ है. जो लगातार जारी है। प्रार्थीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि ख0 न0 1137/620 रकबा 1.4811 है0 व ख0 न0 1138/620 रकबा 1.4811 है0 का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार नक्शा में तरमीम करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवावे । अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0नं0 1137/620 रकबा 1.4811 है0 व 1138/620 रकबा 1.4811 है0 वाके ग्राम बंडून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी को नक्शा सहित राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर मौके पर कब्जे काश्त अनुसार अमल दराज किये जाने के आदेश प्रदान की जावे ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, खाता सं0 422 वाके ग्राम बड़ून्दा, भू–नक्शा खसरा सं0 1137/620, नकल जमाबन्दी खाता सं0 66 वाके ग्राम बड़ून्दा, भू–नक्शा खसरा सं0 1138/620 वाके ग्राम बड़ून्दा संवत् 2076 नक्शा ट्रेस वाके ग्राम बड़ून्दा नकल क्रमांक 158 व आधार कार्ड सूरज कवंर व गीता बाई का पेश किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 3016 दिनांक 29.07.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि पटवार हल्का बड़ून्दा व भू0अ0नि0 वृत बाजड से प्राप्त संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बड़ून्दा की चालू जमाबन्दी में खाता सं0 66 खसरा संख्या 1138/620 रकबा 1.4811 है0 खातेदार सूरजबाई पत्नि दिनेश ब्राहाण नि0 सान्दडी, खाता स० 422 खसरा सख्या 1137/620 रकबा 1.4811 है0, खाता स० 230 खसरा संख्या 1195/620 रकबा 1.7806 है0 भरत पिता पृथ्वीराज जाति जाट नि0 बड़ून्दा व खाता सं0 270 खसरा संख्या 1196/620 रकबा 1.6187 है0 मिथलेश

बलवीर सिंह जाति जाट नि0 बड़ूंदा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित प्रार्थीगण खातेदारान वर्तमान राजस्व मौजा ग्राम बड़ूंदा के ख0न0 1137/620, 1138/620, 1195/620, 1196/620 जिनका खसरा नम्बर 620 है0 का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नक्शा शुद्धि करवाना चाहते है। जिसका रिकार्ड अनुसार व मौका अनुसार नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित है। उपरोक्त चारो खसरा नं0 का कुल रकबा 6.3615 है0 है। वर्तमान राजस्व नक्शा अनुसार कुल रकबा 6.3615 है0 नही होकर कम बनता है। अतः ऐसी स्थिति में रिपोर्ट में वर्णित प्रस्तावित व मौका अनुसार राजस्व में आनुपातिक कमी की जाकर तरमीम शुद्धि किया जाना उचित होगा।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि मूल खसरा 620 ग्राम बड़ूंदा के खसरा नं0 1137/620, 1138/620, 1195/620 व 1196/620 में विभक्त है। प्रस्तावित नक्शा तरमीम में अन्य खाताधारकों के अधिकार प्रभावित होना स्वाभाविक है साथ ही यह भी स्पष्ट है कि विवाद का मूल कारण बन्दोबस्त नक्शे एवं रकबे की कथित त्रुटी से संबंधित है। जिसका सुधार धारा 131, 136 एलआर एक्ट के अन्तर्गत किया जाना विधि सम्मत नही है। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0नं0 1137/620 रकबा 1.4811 है0 व 1138/620 रकबा 1.4811 है0 वाके ग्राम बंड़ूंदा तहसील तालेडा जिला बून्दी को नक्शा सहित राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर मौके पर कब्जे काश्त अनुसार अमल दरामद किया जावे ।

दोराने बहस पेरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र दोहराते हुये रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार रकबे में अनुपातिक कमी की जाकर तरमीम किये जाने के प्रावधान भू-प्रबंधन अधिनियम के तहत होने से उक्त तरमीम एवं रकबे की शुद्धि अन्तर्गत धारा 131 के निहित प्रावधानों के तहत निहित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी रकबा पूर्ण नही होकर कम बनता है जिसे तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में आनुपातिक कमी कर तरमीम शुद्ध किये जाने का अंकन किया है। किसी भी काश्तकार की भूमि को आनुपातिक रूप से कम किया जाना भू-प्रबंध अधिनियम में निहित शक्तियों के अधीन होने से इस न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। प्रार्थीगण की आराजी को आनुपातिक रूप से कम कर तरमीम दुरूस्त किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पोषणीय नही होने से तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

**(मनस्वी नरेश)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**तालेडा**